भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2217

गुरूवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

2217 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने और 100 मिलियन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजनाओं/रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय अगले तीन से पाँच वर्षों में 100 पर्यटन स्थलों के कायाकल्प की प्रक्रिया में है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) और (ख) के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत को वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में छठे स्थान से तीसरे स्थान पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है:

(i) पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)' और स्वदेश दर्शन योजना की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' नामक उप-योजना जैसी अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, उनसे योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्राप्ति पर तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को संपूरित करता है। पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से 'स्वदेश दर्शन' योजना को 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)' के नाम से नया रूप दिया है। तदनुसार, 'एसडी 2.0' योजना के तहत 2208.27 करोड़ रुपए की कुल 53 परियोजनाओं और सीबीडीडी पहल के तहत 648.11 करोड़ रुपए की कुल 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन

योजनाओं के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्राधिकृत की जाती हैं, जिसका संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपयोग किया जाता है।

(ii) देश में पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से प्रचारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने नवीकृत डिजिटल पोर्टल (www.incrediable.gov.in) पर अतुल्य भारत कंटेंट हब की शुरुआत की है। अतुल्य भारत कंटेंट हब का उद्देश्य विश्व भर के औद्योगिक हितधारकों (यात्रा मीडिया, टूर ऑपरेटर, यात्रा एजेंट) को उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशरों और न्यूजलेटों के एक व्यापक डिजिटल संग्रह की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने विपणन तथा संवर्धन संबंधी सभी प्रयासों में अतुल्य भारत को प्रदर्शित कर सकें। इसके साथ ही, पर्यटन मंत्रालय कार्यक्रमों के आयोजनों, सोशल मीडिया और अभियानों सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से भी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देता है।

(iii) पर्यटन मंत्रालय, कौशल के उन्नयन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)' नामक योजना के माध्यम से आतिथ्य क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करता है। पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, 'अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम' नामक अखिल भारतीय ऑनलाइन शिक्षण पहल की पेशकश करने के साथ-साथ पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल को भी कार्यान्वित करता है।

(iv) वर्तमान में, 31 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 06 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने हेतु 171 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है। ई-वीजा की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

(v) पर्यटन मंत्रालय, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और उच्च क्षमता वाले अल्प ज्ञात/नए गंतव्य स्थलों तक हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस-उड़ान) के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय के साथ समन्वय किया है और उक्त उद्देश्य हेतु चिह्नित 53 पर्यटन मार्गों के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ़) को साझा कर रहा है।

(vi) पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-सितारा अथवा उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटलों, रोपवे तथा केबल कार और विशेष रूप से प्रदर्शनी या सम्मेलन क्षेत्र अथवा दोनों सहित न्यूनतम 100,000 वर्ग मीटर के निर्मित फ्लोर एरिया वाली प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र परियोजनाओं को अवसंरचना उप-क्षेत्र की समन्वित मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

*****